



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 15-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 10, 2018 (CHAITRA 20, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 फरवरी, 2018

संख्या 1/120/2017-ITCP.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, तकनीकी (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

- ये नियम हरियाणा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, तकनीकी (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, तकनीकी (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1996 (जिन्हे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में “चालीस वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “बयालीस वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, रवाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 8 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“8	चालक	3	4
		(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;	पदोन्नति द्वारा (i) मैट्रिक; (ii) ग्रुप ग या ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में, किसी पद पर तीन वर्ष का अनुभव; (iii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए;

“8	चालक	3	4
			स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए : (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत, (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।

अरुण कुमार गुप्ता,
 प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
 नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
 TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 21st February, 2018

No.1/120/2017-1TCP.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules, further to amend the Haryana, Town and Country Planning Department, Technical (Group C) Service Rules, 1996 namely :-

- These rules may be called the Haryana Town and Country Planning Department, Technical (Group C) Service (Amendment) Rules, 2018.
- In the Haryana Town and Country Planning Department, Technical (Group C) Service Rules, 1996 (hereinafter called the said rules) in rule 5, for the words “forty”, the words and sign “forty two’ shall be substituted.
- In the said rules, in Appendix B, under columns 3 and 4, against serial number 8, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely:-

“8	Driver	3	4
		(i) Matric (ii) Should have a light vehicle valid driving Licence, at least three years old; (iii) Should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) Should not be colour blind; (v) Hindi / Sanskrit upto Matric standard of higher education,	By Promotion:- (i) Matric; (ii) Three years experience as Group C or Group D employees; (iii) Should have a light vehicle valid driving licence, at least three years old; (iv) Should have passed the driving test conducted by the department; (v) Should not be colour blind; (vi) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (vii) Should not be more than fifty years of age;

“8	Driver	3	4
			By transfer /deputation (i) Matric (ii) Should have a light vehicle valid driving licence at least three years old; (iii) Three years experience of driving light vehicle; (iv) Should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (vi) If not already working on the post of driver then should not be more than fifty years of age.”;

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town & Country Planning Department.